मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ६ का संशोधन.

४. धारा ७ का संशोधन.

५. धारा ९ का संशोधन.

६. धारा १० का संशोधन.

७. धारा १२ का संशोधन.

८. धारा १३ का संशोधन.

९. धारा १६ का संशोधन.

१०. धारा १७ का संशोधन.

११. धारा २० का संशोधन.

१२. धारा २२ का संशोधन.

१३. धारा २४ का संशोधन.

१४. धारा २५ का संशोधन.

१५. धारा २९ का संशोधन.

१६. धारा ३४ का संशोधन.

१७. धारा ३५ का संशोधन.

१८. धारा ३९ का संशोधन.

१९. धारा ४३क का अंत:स्थापन.

२०. धारा ४८ का संशोधन.

२१. धारा ४९ का संशोधन.

२२. धारा ४९क और ४९ख का अंत:स्थापन.

२३. धारा ५२ का संशोधन.

२४. धारा ५४ का संशोधन.

२५. धारा ६७ का संशोधन.

२६. धारा ७९ का संशोधन.

२७. धारा १०७ का संशोधन.

२८. धारा ११२ का संशोधन.

२९. धारा १२९ का संशोधन.

३०. धारा १४० का संशोधन.

३१. धारा १४२ का संशोधन.

३२. धारा १४३ का संशोधन.

३३. धारा १६५ का संशोधन.

३४. धारा १६६ का संशोधन.

३५. धारा १७४ का संशोधन.

३६. अनुसूची १ का संशोधन.

३७. अनुसूची २ का संशोधन.

३८. अनुसूची ३ का संशोधन.

३९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रुप में किया जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(क) खण्ड (४) में, शब्द ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा १७१ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड १६ में, शब्द ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' के स्थान पर, शब्द ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (१७) में, उपखंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ज) किसी घुड़दौड़ की गतिविधियां जिसमें किसी योगक या बुक मेकर की अनुज्ञप्ति या ऐसे क्लब में अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की गतिविधियां सम्मिलित हैं; और'';

(घ) खण्ड (१८) का लोप किया जाए;

(ङ) १ जुलाई, २०१७ से, खण्ड (२१) लोप किया गया समझा जाएगा;

(च) १ जुलाई, २०१७ से, खण्ड (२२) से खण्ड (१११) तक को क्रमश: खण्ड (२१) से (११०) तक पुनर्क्रमांकित किया गया समझा जाएगा;

(छ) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (३५) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (ग)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (ख)'' स्थापित किए जाएं;

(ज) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (६९) में, उपखण्ड (च) में, शब्द और अंक ''अनुच्छेद ३७१'' के पश्चात् शब्द और अंक ''और अनुच्छेद ३७१ञ'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(झ) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (१०२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति "सेवा" में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है;";

(ञ) १ जुलाई, २०१७ से, इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खंड (११०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(१११) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२);".

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ के पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"कतिपय परिस्थितियों में उचित अधिकारी के रूप में केन्द्रीय कर के अधिकारियों की प्राधिकारिता".

धारा ७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ में, १ जुलाई, २०१७ से,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द, "चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिये", के पश्चात्, शब्द "और" अंत:स्थापित किया जाए और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द प्रतिफल के पश्चात्, शब्द "और" का लोप किया जाए और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(तीन) खण्ड (घ) का लोप कियां जाए और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(ख) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(१क) जहां उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार प्रदाय का गठन करते हैं वहां उन्हें अनुसूची २ में यथानिर्दिष्ट माल का प्रदाय या सेवा का प्रदाय माना जाएगा.";

(ग) उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक और अंकों "उपधारा (१) और उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक, "उपधारा (१), उपधारा (१क) और उपधारा (२)" स्थापित किए जाएं.

धारा ९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४) सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में, माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिये दायी है.".

६. मूल अधिनियम की धारा १० में,— धारा १० का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द ''उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर,'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर'' स्थापित किए जाएं;

(दो) विद्यमान परंतुक में, शब्द ''एक करोड़ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक करोड़ पचास लाख रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में के कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पाँच लाख रुपए, जो भी अधिक हों की सेवा (अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) का प्रदाय कर सकेगा.'';

(ख) उपधारा (२) में खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(क) उपधारा (१) में यथाउपबंधित के सिवाय, वह सेवा के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;''.

७. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''की उपधारा (१)'' का लोप किया जाए. धारा १२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द, कोष्ठक और अंक ''की उपधारा (२)'' का लोप किया जाए. धारा १३ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में,— धारा १६ का संशोधन.

(क) खण्ड (ख) में, विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त कर लिया है—

(एक) जहां माल, किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर परिदान किया गया है, चाहे व अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवाएं, किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश और उसकी ओर से प्रदायकर्या द्वारा उपलब्ध कराई जाती हो.'';

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक ''धारा ४१'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा ४१ या धारा ४३क'' स्थापित किए जाएं.

धारा १७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(क) उपधारा (३) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''छूट-प्राप्त प्रदाय के मूल्य'' में उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा.'';

(ख) उपधारा (५) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(क) तेरह से अनधिक व्यक्तियों (चालक सहित) की बैठने की अनुमोदित क्षमता के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता हो, अर्थात् :—

(अ) ऐसे मोटरयानों की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय के लिए किया जा रहा हो, अर्थात् :—

(अ) ऐसे जलयान या वायुयान की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(दो) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा सेवाएं, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां तक उनका संबंध खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा—

(एक) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(दो) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो—

(एक) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(दो) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय—

(एक) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को लीज, भाड़े या भाटक पर देने के सिवाय जब कि उनका उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा जहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के तत्व के रूप में किया जाता है;

(दो) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और

(तीन) कर्मचारियों को अवकाश के दौरान प्रदात्त यात्रा लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत:

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो.''.

धारा २० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २० में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ग) में, शब्द तथा अंक ''प्रविष्टि ८४'' के स्थान पर, शब्द अंक और अक्षर, ''प्रविष्टि ८४ और ९२क'' स्थापित किए जाएं.

धारा २२ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २२ में,—

(क) उपधारा (१) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि सरकार, किसी विशेष प्रवर्ग के राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रुपये से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि अधिसूचित की जाए;''

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(तीन) अभिव्यक्ति ''विशेष प्रवर्ग राज्यों'' से अभिप्रेत होंगे, जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड राज्य के सिवाय, संविधान के अनुच्छेद, २७९क के खण्ड (४) के उपखण्ड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य.''.

धारा २४ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, खण्ड (दस) में, शब्द ''वाणिज्य आपरेटर'' के पश्चात्, शब्द तथा अंक ''जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा २५ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २५ में,—

(क) उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, २००५ में यथापरिभाषित कोई इकाई है या एक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता

होने के चलते, उसे एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है.'';

(ख) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो राज्य में कारबार के बहु स्थान का धारक है, को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा.''.

धारा २९ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण अथवा निलंबन'';

(ख) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल की गई रजिस्ट्रीकरण से रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा.'';

(ग) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा.''.

धारा ३४ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर, शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द ''जमापत्र'' के स्थान पर, शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमापत्र'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (३) में,—

(एक) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर, शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द ''नामे पत्र'' के स्थान पर, शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे पत्र'' स्थापित किए जाएं.

१७. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (५) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा ३५ का संशोधन.

''परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अध्यधीन हैं.''.

१८. मूल अधिनियम की धारा ३९ में,— धारा ३९ का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द ''ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्ररूप, रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए'' स्थापित किए जाएं;

(दो) ''ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को'' शब्दों का लोप किया जाए;

(तीन) निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.'';

(ख) उपधारा (७) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व ऐसी विवरणी के अनुसार सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे.'';

(ग) उपधारा (९) में,—

(एक) शब्द ''उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए'' स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तुक वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति पश्चात्, सितम्बर मास या दूसरी तिमाही के लिए विवरणी देने की नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की तिथि, जो भी पूर्वोत्तर हो, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.''.

१९. मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ४३क का अंत:स्थापन.

''४३क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया.

(१) धारा १६ की उपधारा (२), धारा ३७ या धारा ३८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदायों के ब्यौरों को सत्यापित, विधिमान्य, उपांतरित या विलोपित करेगा.

(२) धारा ४१, धारा ४२ या धारा ४३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(३) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे कि विहित की जाए.

(४) उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(५) जावक प्रदायों में, विनिर्दिष्ट कर की रकम जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उपधारा (३) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा.

(६) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्तत: और पृथकत:, ऐसी जावक प्रदायों के संबंध में, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु उनकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, यथास्थिति फायदा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे.

(७) उपधारा (६) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी कि विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया गलती से फायदा लिए गए एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध कर सकेगी.

(८) जावक प्रदायों के संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं,—

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(दो) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी व्यतिक्रमित राशि के भुगतान की नियत तारीख से दो मास से अधिक के लिए जारी रहता है ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए.''.

धारा ४८ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक ''धारा ३९ या धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी'' के पश्चात्, शब्द ''और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ४९ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(क) उपधारा (२) में, शब्द और अंक ''धारा ४१'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा ४१ या धारा ४३क'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (५) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;'';

(दो) खण्ड (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;".

धारा ४९क और ४९ख का अंत:स्थापन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**४९क. कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग.**—धारा ४९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के लिए, केवल तब किया जाएगा, जबकि एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है.

४९ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश.—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा ४९ की उपधारा (५) के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, इनपुट कर प्रत्यय के यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे ऐसे किसी कर के संदाय के उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी.".

धारा ५२ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (९) में, शब्द और अंक "धारा ३७" के स्थान पर, शब्द और अंक "धारा ३७ या धारा ३९" स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,—

(क) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, दो बार आए शब्द "शून्य अंकित प्रदायों" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "निर्यात" एवं "निर्यातों" स्थापित किए जाएं;

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (२) में,—

(एक) उपखण्ड (ग) में, मद (एक) में, शब्द "विदेशी मुद्रा में" के पश्चात्, शब्द "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,", अंत:स्थापित किया जाए;

(दो) उपखण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

" (ङ) उपधारा (३) के प्रथम परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उत्पन्न होता है, धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;".

धारा ६७ का संशोधन.

२५. १ जुलाई, २०१७ से मूल अधिनियम की धारा ६७ की उपधारा (२) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (१) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :".

धारा ७९ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा ७९ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''व्यक्ति'' में, धारा २५ की उपधारा (४) या यथास्थिति, उपधारा (५) में यथानिर्दिष्ट ''सुभिन्न व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे.''.

धारा १०७ का संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गई है, से उद्धत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संदाय नहीं किया हो.''.

धारा ११२ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ११२ में, उपधारा (८) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गई है, से उद्धत विवाद में बकाया कर की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए.''.

धारा १२९ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की १२९ में,—

(क) १ जुलाई, २०१७ से, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर की रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और, छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;''.

(ख) उपधारा (६) में, शब्द ''सात दिन'' के स्थान पर, शब्द ''चौदह दिन'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४० का संशोधन.

३०. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १४० में—

(क) उपधारा (४) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों के विक्रय में लगा हुआ है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,-'';

(ख) उपधारा (६) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था विद्यमान विधि के अधीन संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्धनिर्मित या निर्मित मालों के इनपुट को स्टाक में धारित स्टाक और इनपुट के संबंध में पात्र मूल्यवर्धित कर की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:—''.

धारा १४२ का संशोधन.

३१. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १४२ में,—

(क) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(१) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई हो, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था नियत तारीख से पूर्व छह मास से पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा, जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा वापस कर दिया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने हेतु पहचाने जाने योग्य है:'';

(ख) उपधारा (७) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) आशयित बाहरी देय कर के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पूर्व अथवा उसके पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा यदि कोई रकम, ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणाम के रूप में वसूली योग्य है तो वह विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.''.

धारा १४३ का संशोधन.

३२. मूल अधिनियम की धारा १४३ में, उपधारा (१) में, खंड (ख) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा.''.

धारा १६५ का संशोधन.

३३. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १६५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''**१६५. विनियम बनाने की शक्ति.**

सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपंबधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.''.

धारा १६६ का संशोधन.

३४. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १६६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''**१६६. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.**

इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने अथवा जारी किए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरन्त पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाता है या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि यथास्थिति ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, यथास्थिति इस नियम या विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.''.

धारा १७४ का संशोधन.

३५. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १७४ में,—

(क) उपधारा (२) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च) कोई कार्यवाहियां, जिनका संबंध किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन के पूर्व, उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन संस्थित किया गया है, और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा;".

(ख) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में मध्यप्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभावित करने के लिए धारा १७३ और उपधारा (१) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा.".

अनुसूची १ का संशोधन.

३६. मूल अधिनियम की अनुसूची १ में, पैरा ४ में शब्द "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर, "व्यक्ति" स्थापित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन.

३७. मूल अधिनियम की अनुसची २ में, शीर्षक में, शब्द "क्रियाकलापों" के पश्चात् शब्द "या संव्यवहारों" अंत:स्थापित किया जाए और सदैव १ जुलाई, २०१७ से अंत:स्थापित किया गया समझा जाए.

अनुसूची ३ का संशोधन.

३८. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में,—

(क) पैरा ६ के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"७. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल के भारत में प्रवेश किए बिना प्रदाय.

८. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय.";

(ख) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण १ के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण २.—पैरा ८ के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भांडागार में रखे गये माल" का वही अर्थ होगा, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) में उसके लिए समानुदेशित किया गया है.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३९. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७, राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था.

२. अधिनियम में नए माल और सेवा कर पद्धति के लिए विद्यमान कर दाताओं हेतु आसान अभिवहन के लिए कतिपय उपबंध है. यद्धपि, नई कर पद्धति में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. कर दाताओं को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों को कारित प्रमुख असुविधाओं में से एक वस्तु और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया थी. इस संबंध में, प्रस्तावित नई विवरणी फाइल करने की पद्धति में न्यूनतम कागजी कार्य के साथ-साथ छोटे कर दाताओं के लिए विवरणी की त्रैमासिक फाइलिंग और कर का भुगतान परिकल्पित है. नई विवरणी फाइल करने की प्रणाली को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से तथा उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को संशोधित किया जाए.

३. प्रस्तावित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधयेक, २०१९ में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध है, अर्थात्:—

(एक) प्रदाय की परिधि को स्पष्ट करने के लिए धारा ७ को संशोधित करना;

(दो) अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से कतिपय विनिर्दिष्ट माल के प्रदाय की पावती के संबंध में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा ९ को संशोधित करना;

(तीन) प्रशमन उद्ग्रहण की सीमा में वृद्धि कर एक करोड़ रुपए से एक करोड़ पचास लाख रुपए करने के लिए अधिनियम की धारा १० को संशोधित करना;

(चार) इनपुट कर प्रत्यय के विस्तार को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा १७ को संशोधित करना;

(पांच) विशिष्ट प्रवर्ग के राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के लिए छूट सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपये करने हेतु अधिनियम की धारा २२ को संशोधित करना;

(छह) कर दाताओं को एक ही राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अवस्थित कारबार के बहु स्थानों के लिए बहु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का विकल्प लेने और विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा २५ को संशोधित करना;

(सात) रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने की कार्यवाही के चलते रजिस्ट्रीकरण को अस्थाई रूप से निलंबित करने का उपबंध अंत:स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा २९ को संशोधित करना;

(आठ) विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए नई व्यवस्था का उपबंध करने के लिए नई धारा ४३क अंत:स्थापित करना.

(नौ) अपील फाइल करने के लिए देय पूर्व निक्षेप की रकम पच्चीस करोड़ रुपए स्थिर करने के उपबंध करने हेतु अपील से संबंधित अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (६) को संशोधित करना;

(दस) अभिवहन हस्तांतरण और माल के निरोध या अभिग्रहण से संबंधित कालावधि को बढ़ाकर सात दिन से चौदह दिन करने के लिए अधिनियम की धारा १२९ को संशोधित करना; और

(ग्यारह) धारा २, ६, १२, १३, १३, ६७, १४०, १६५, १६६ तथा धारा १७४ को संशोधित करना और उक्त संशोधन प्रारूपण की प्रकृति के हैं.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश माल तथा सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश को राज्य विधान सभा के अधिनियम से बिना किसी उपांतरण के बदला जाना प्रस्तावित है.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ७ जनवरी, २०१९.

बृजेन्द्र सिंह राठौर
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के निम्नलिखित खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है.— प्रस्थापनाएं की गई हैं :—

खण्ड १ - अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तारीखों में अधिसूचना जारी करके लागू करने;

खण्ड ५ - जीएसटी परिषद् की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त मालों के विषय में कर के संदाय;

खण्ड १२ - विशेष प्रवर्ग के राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद की सिफारिशों पर समग्र आवर्त की सीमा अधिसूचना द्वारा बढ़ाये जाने;

खण्ड १४ - राज्य में कारोबार के बहु स्थान के धारकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें तय करने;

खण्ड १५ - रजिस्ट्रीकरण रद्द करने एवं निलंबित करने की रीति निर्धारित करने;

खण्ड १८ - परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित एवं करों के भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने;

खण्ड १९ - इस खण्ड में विवरणी देने और इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्धता की प्रक्रिया निर्धारित करने;

खण्ड २२ - किसी भी कर की इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग हेतु विशिष्ट आदेश जारी करने; तथा

खण्ड ३३ - राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने;

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम २०१७, राज्य सरकरा द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था.

अधिनियम में नए माल और सेवा कर पद्धति के लिये विद्यमान कर दाताओं हेतु आसान अभिवहन के लिये कतिपय उपबंध है. यद्यपि, नई कर पद्धति में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था. कर दाताओं को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों को कारित प्रमुख असुविधाओं में से एक वस्तु और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया थी. इस संबंध में, प्रस्तावित नई विवरणी फाइल करने की पद्धति में न्यूनतम कागजी कार्य के साथ-साथ छोटे कर दाताओं के लिये विवरणी की त्रैमासिक फाइलिंग और कर का भुगतान परिकल्पित है. नई विवरणी फाइल करने की प्रणाली को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से तथा उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिये मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को संशोधित किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश माल तथा सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्र. ११ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक ११ सन् २०१७) से उद्धरण.

धारा १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

धारा २. (४) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है;

* * *

(१६) "**बोर्ड**" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, १९६३ के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(१७) "**कारबार**" में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) * * *

(ख) * * *

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति; और

(झ) * * *

(१८) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं है;

(१९) * * *

(२०) * * *

(२१) ''केन्द्रीय'' माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) अभिप्रेत है;

(२२) ''केन्द्रीय कर'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा ९ के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(२३) ''उपकर'' का वही अर्थ हो, जो माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) में उसका है;

(२४) ''चार्टर्ड अकाउंटेंट'' से चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेड अधिनियम, १९४९ की धारा २ की उपधार (१) के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेंड अभिप्रेत है;

(२५) ''आयुक्त'' से केन्द्रीय कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा ३ के अधीन नियुक्त केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है;

(२६) ''बोर्ड में का आयुक्त'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा १६८ में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(२७) ''सामान्य पोर्टल'' से धारा १४६ में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(२८) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''सामान्य कार्य दिवस'' से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है;

(२९) ''कंपनी सचिव'' से कंपनी सचिव अधिनियम, १९८० की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(३०) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(३१) ''संयुक्त प्रदाय'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसी प्रदाय अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है;

दृष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल का प्रदाय, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा.

(३२) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में ''प्रतिफल'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी:

परंतु, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे;

(३३) ''माल का निरंतर प्रदाय'' से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाईन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है;

(३४) ''सेवाओं का निरंतर प्रदाय'' से सेवाओं का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है;

(३५) ''प्रवहण'' के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

(३६) ''लागत लेखापाल'' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, १९५९ की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(३७) ''परिषद्'' से संविधान के अनुच्छेद २७९क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(३८) ''जमापत्र'' से धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(३९) ''नामे नोट'' से धारा ३४ की उपधारा (३) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(४०) ''समझा गया निर्यात'' से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जिसे धारा १४७ के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(४१) ''अभिहित प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(४२) ''दस्तावेज'' के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी है;

(४३) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में ''चुंगी वापसी'' से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों इनपुट या सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(४४) ''इलेक्ट्रानिक नकद खाते'' से धारा ४९ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(४५) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य'' से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं.

(४६) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(४७) ''इलेक्ट्रानिक जमा खाते'' से धारा ४९ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(४८) "छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ६ के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा ११ के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;

(४९) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधानमंडल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(५०) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,—

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है;

(५१) "नियत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(५२) "निधि" से धारा ५७ के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(५३) "माल" से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग रूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है;

(५४) "सरकार" से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(५५) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५)" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) अभिप्रेत है;

(५६) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा ४८ के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(५७) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद १ में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्य क्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्न आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, १९७६ में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(५८) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) अभिप्रेत है;

(५९) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(६०) "इनपुट" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(६१) ''इनपुट सेवा'' से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(६२) ''इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा ३१ के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(६३) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ''इनपुट कर'' से माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ५ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(६४) ''इनपुट कर प्रत्यय'' से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(६५) ''माल का अंतरराज्यिक प्रदाय'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ८ में उसका है;

(६६) ''सेवाओं का अंतरराज्यिक प्रदाय'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ८ में उसका है;

(६७) ''बीजक'' या ''कर बीजक'' से धारा ३१ में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(६८) किसी व्यक्ति के संबंध में ''आवक प्रदाय'' से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(६९) ''जाब वर्क'' से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(७०) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से निम्न अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद २४३ के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद २४३त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

(घ) छावनी अधिनियम, २००६ की धारा ३ में यथापरिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठवी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद ३७१क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(७१) ''सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान'' से,—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(७२) ''सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान'' से,—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(७३) ''विनिर्माण'' से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और ''विनिर्माता'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(७४) ''बाजार मूल्य'' से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(७५) ''मिश्रित प्रदाय'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय अभिप्रेत हैं, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है.

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा. इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा. यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा;

(७६) ''धन'' से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

(७७) ''मोटर यान'' का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, १९८८ की धारा २ के खण्ड (२८) में उसका है;

(७८) ''अनिवासी कराधेय व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिसमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

(७९) ''गैर-कराधेय प्रदाय'' से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १३) के अधीन कर से उद्गृहीत नहीं है;

(८०) ''गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(८१) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(८२) ''अन्य राज्यक्षेत्र'' में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खण्ड (११४) के उपखण्ड (क) से उपखण्ड (ङ) में निर्दिष्ट हैं;

(८३) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''आउटपुट कर'' से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

(८४) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''जावक प्रदाय'' से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय अभिप्रेत है;

(८५) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) कोई व्यष्टि;

(ख) कोई हिंदू, अविभक्त कुटुंब;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई फर्म;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;

(छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २ के खण्ड (४५) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन यथापरिभाषित सोसाइटी;

(ड) न्यास; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है;

(८६) ''कारबार के स्थान'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भण्डारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(८७) ''प्रदाय का स्थान'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अध्याय ५ में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान अभिप्रेत है;

(८८) ''विहित'' से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(८९) ''प्रधान'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है;

(९०) ''कारबार का मुख्य स्थान'' से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(९१) ''मुख्य प्रदाय'' से ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त प्रदाय के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय की भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है;

(९२) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में ''उचित अधिकारी'' से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(९३) ''तिमाही'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों;

(९४) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ''प्राप्तिकर्ता'' से,—

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिये कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिये कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिये दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिये प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(९५) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(९६) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(९७) माल के संबंध में ''हटाये जाने'' से,—

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिये माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(९८) ''विवरणी'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिये अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(९९) ''विपरीत प्रभार'' से धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(१००) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से धारा १०८ में यथानिर्दिष्ट विनिश्चिय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिये नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(१०१) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(१०२) ''प्रतिभूति'' का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खण्ड (ज) में उसका है;

(१०३) ''सेवाओं'' से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिये पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से संबंधित क्रियाकलाप हैं;

(१०४) ''राज्य'' से मध्यप्रदेश अभिप्रेत है;

(१०५) ''राज्य कर'' से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है;

(१०६) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ''प्रदायकर्ता'' से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(१०७) ''कर अवधि'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;

(१०८) ''कराधेय व्यक्ति'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;

(१०९) ''कराधेय प्रदाय'' से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्गृहणीय है;

(११०) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(१११) ''दूर-संचार सेवा'' से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स सर्विस, वीडियो टैक्स सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

धारा ३ से ५ * * *

धारा ६ कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों को समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी.

धारा ७ मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ की धारा ७ :

(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, ''प्रदाय'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) * * *

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप; और

(घ) अनुसूची २ में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रिया कलाप.

(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,—

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा.

धारा ९. (१) * * *

(२) * * *

(३) * * *

(४) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है.

(५) * * *

धारा १०. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किन्तु जो,—

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए.

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) वह अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ख) * * *

(ग) * * *

(घ) * * *

(ङ) * * *

(३) * * *

धारा १२. (१) * * *

(२) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बावत् बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) * * *

(३) * * *

धारा १३. (१) * * *

(२) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) * * *

(३) * * *

(४) * * *

धारा १३. (१) * * *

(२) * * *

(क) * * *

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है.

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

(ग) धारा ४१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) * * *

(३) * * *

(४) * * *

धारा १७. (१) * * *

(२) * * *

(३) उपधारा (२) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहरों, भूमि विक्रय और अनुसूची २ के पैरा ५ के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा.

नवीन स्पष्टीकरण अंत:स्थापित.

(४) * * *

(५) धारा १६ की उपधारा (१) और धारा १८ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,—

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के और प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(दोii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए:—

(एक i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है;

(दो ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता ;

(तीन iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय जहां,—

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का, जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है; और

(चार iv)अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे. जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत

(ग) * * *

(घ) * * *

(६) * * *

धारा २०. (१) * * *

(२) * * *

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) * * *

(ख) * * *

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि ८४ और उक्त अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५१ और प्रविष्टि ५४ के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है.

धारा २२. (१) * * *

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपये से अधिक है.

(२) * * *

(एक) * * *

(दो) * * *

(१) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद २७९क के खंड (४) के उपखंड (छह) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है.

धारा २४. धारा २२ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

(एक) * * *

(दो) * * *

(दस) प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर;

(ग्यारह) * * *

धारा २५. (१) . . . . . .

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा.

* * *

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा.

* * *

(३) * * *

धारा २९. **रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.**

(१) * * *

(क) * * *

(ख) * * *

(ग) धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा.

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा.

(३) * * *

(४) * * *

धारा ३४ (१) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ति के किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा.

(२) * * *

(३) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर, कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा.

(४) * * *

धारा ३५. (५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा ४४ की उपधारा (२) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए.

धारा ३९. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति भिन्न अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा.

* * *

(७) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (५) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा.

* * *

(९) धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास के लिये या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिये या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

* * *

धारा ४८. (२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा ३७ के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा ३९ या धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा.

* * *

धारा ४९. (२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा ४१ के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा.

* * *

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

* * *

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा;

* * *

धारा ५२. (९) जहां उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के ब्यौरे धारा ३७ के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी.

* * *

धारा ५४. (८) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है.—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

* * *

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिये स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(एक) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

* * *

(ङ) उपधारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

* * *

धारा ६७. (२) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (१) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिये दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अधिग्रहण करने के लिये लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

* * *

धारा ७९. (४) जहां उपधारा (३) के अधीन वसूल की गई रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा.

* * *

धारा १०७. (ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्‌भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो.

* * *

धारा ११२. (ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के २० प्रतिशत के बराबर राशि.

* * *

धारा १२९. (ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का ५० प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

* * *

(६) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (१) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अग्रसर कार्यवाहियां धारा १३० की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

* * *

धारा १४०. (४) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

* * *

(६) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के इनपुट को स्टाक में धारित स्टाक और इनपुट के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :—

* * *

धारा १४२. (१) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से पूर्व छह मास अपेक्षा पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख के पश्चात् अथवा कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने पर पहचान की जारी है:

* * *

(७) (क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.

* * *

धारा १४३. परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में जॉब वर्कर के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाय कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(एक) जहां जॉब वर्कर धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(दो) जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है.

* * *

धारा १६५. आयुक्त, इस अधिनियम को उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगा.

धारा १६६ : इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, आयुक्त द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिये सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

३५. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की

(क) * * *

(ख) * * *

धारा १७४. (च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा.

* * *

(३) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में साधारण खंड अधिनियम, १८९७ की धारा ६ के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के लिए उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा.

* * *

अनुसूची-१ : ४. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात.

* * *

अनुसूची-२ : क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए.

* * *

अनुसूची-३ : (७) नवीन पैरा अंत:स्थापित

(८) नवीन पैरा अंत:स्थापित

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.